प्रशासन गांव के संग (फोलोअप)अभियान वर्ष – 2022

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 277 सन 2022

अनवान :–

1. रायसिह पुत्र मंगतुराम जाति जाट निवासी चक 16 जेएसएन तहसील नोहर ।

वादी

बनाम

1. मुकेश पुत्र मंगतुराम जाति जाट निवासी चक 16 जेएसएन तहसील नोहर।
2. रूकमा देवी पत्नी मंगतुराम जाति जाट निवासी चक 16 जेएसएन तहसील नोहर।
3. राजेन्द्र पुत्र किशनाराम जाति जाट निवासी चक 16 जेएसएन तहसील नोहर।
4. रामेश्वर पुत्र किशनाराम जाति जाट निवासी चक 16 जेएसएन तहसील नोहर।
5. सुमित्रा देवी पत्नी रामेश्वर जाति जाट निवासी चक 16 जेएसएन तहसील नोहर।
6. विनोद कुमार पुत्र इन्द्रा पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट निवासी चक 16 जेएसएन तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
7. रचना पुत्री इन्द्रा पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट निवासी चक 16 जेएसएन तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रामकुमार बैनीवाल अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 16/05/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 16 जेएसएन के खाता संख्या 96/96 की कुल 6.5990हैक्ट भूमि में वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 प्रत्येक 1/7– 1/7 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 प्रत्येक के नाम 1/7 –1/7 हिस्सा दर्ज किया गया है जो गलत है वाद भूमि की वर्तमान जमाबन्दी कम्पयुटर से बनाते समय वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 प्रत्येक का 1/7 हिस्सा दर्ज हुआ है जबकि वाद भूमि में वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 का वाद की मद संख्या 3 के अनुसार हिस्सा कस्सी दर्ज होनी चाहिये थी जिससे कुल भूमि का योग कम हो गया है इसलिये वाद भूमि को वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 को कई मर्तबा कहा की वाद भूमि में वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के हिंस्से सही तौर से दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वाद भूमि में वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के हक हिस्सा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने निवेदन किया की वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के नाम मुश्तरका खाता में प्रत्येक के नाम 1/7 हिस्सा दर्ज है जो गलत है वर्तमान जमाबन्दी तैयार करते समय सहवन से वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 प्रत्येक का 1/7 हिस्सा दर्ज हुआ है वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 का सही हिस्सा कस्सी वाद की मद संख्या 3 में दर्ज है उसी के अनुसार वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 का हिस्सा है वादी के वाद की मद संख्या 3 के अनुसार वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 की हिस्सा कस्सी दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 8 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के

उपखण्ड अधिकारी नोहर

कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात वादी के निवेदन पर पत्रावली प्रशासन गांव के (फोलोअप) अभियान वर्ष – 2022 में प्रस्तुत हुई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की रोही मौजा चक 16 जेएसएन के खाता संख्या 96/96 की कुल 6.5990हैक भूमि में वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 प्रत्येक 1/7– 1/7 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 प्रत्येक के नाम 1/7 –1/7 हिस्सा दर्ज किया गया है जो गलत है वाद भूमि की वर्तमान जमाबन्दी कम्पयुटर से बनाते समय वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 प्रत्येक का 1/7 हिस्सा दर्ज हुआ है जबकि वाद भूमि में वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 का वाद की मद संख्या 3 के अनुसार हिस्सा कस्सी दर्ज होनी चाहिये थी जिससे कुल भूमि का योग कम हो गया है इसलिये वाद भूमि को वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है

वादी के वाद/कथनो को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 16 जेएसएन के खाता संख्या 96/96 की कुल 6.5990हैक भूमि में वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 प्रत्येक 1/7– 1/7 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी का कथन है वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 प्रत्येक के नाम 1/7 हिस्सा दर्ज है जिससे वाद भूमि का योग नही बनता है वर्तमान जमाबन्दी तैयार करते समय हिस्सा कस्सी गलत तौर से दर्ज हुई जिसे वाद की मद संख्या 3 के अनुसार संशोधन करवाने के अधिकारी है वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया की वादी के वाद की मद संख्या 3 के अनुसार वाद भूमि की हिस्सा कस्सी राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनो के समर्थन में इकबाल जबाब पेश किया

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 16 जेएसएन के खाता संख्या 96/96 की कुल 6.5990हैक में वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 प्रत्येक का 1/7 – 1/7 हिस्सा दर्ज है को कलमजन किया जाकर वादी का 0.8249हैक , प्रतिवादी संख्या 1 का 0.8249 हैक प्रतिवादी संख्या 3 का 2.199हैक प्रतिवादी संख्या 4 का 1.8222हैक प्रतिवादी संख्या 5 का 0.1886हेक प्रतिवादी संख्या 6 ,7 बहिब 0.1886हैक भूमि के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 16/05/2022को प्रशासन गांव के संग (फोलोअप) अभियान में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2022
कैम्प कोर्ट........चक हरदासपुरा